



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092026-275914
CG-DL-E-01092026-275914

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4653]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948

No. 4653]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2026

सं. 74/ 2026-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 4840(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1), के साथ पठित धारा 3, और धारा 5 की उपधारा (1) और (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, निम्न दी गई सारणी के कॉलम 4 में उल्लेखित अधिकारी को कॉलम 3 में उल्लेखित अधिकारियों कि शक्तियों और कर्तव्यों के निर्वहन के दायित्व को सारणी के कॉलम 1 में उल्लेखित नोटिसी के संदर्भ में, कॉलम 2 में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसो के न्यायनिर्णयन उद्देश्य हेतु नियुक्त करता है, यथा:-

सारणी

नोटिसी का नाम और पता (मैसर्स)	कारण बताओ नोटिस संख्या और दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकरण का नाम	नियुक्त की गयी साधारण न्यायनिर्णयन प्राधिकरण।
(1)	(2)	(3)	(4)
मैसर्स अक्वेल ऑटोमेटिव पुणे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आईईसी 3105015850), जीएटी नंबर 357/17/1, खरबवाड़ी, चाकन, ताल-खेल, पुणे, महाराष्ट्र-410501	344/2023-24 दिनांक 15.12.2023	सहायक आयुक्त (सीमा शुल्क), CRC-II, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई	सहायक/उपायुक्त (सीमा शुल्क), ग्रुप-II (H-K), NS-I, JNCH, न्हावा शेवा
	871/2023-24 Gr II(HK)/CAC/JNCH, दिनांक 17.07.2023	सहायक सीमा शुल्क आयुक्त, ग्रेड-II (H-K), NS-I, JNCH, न्हावा शेवा	

[फा. सं. 466/29/2026-Cus.V]

इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(THE CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2026

No.74/2026-Customs (N.T.)

S.O. 4840(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, read with section 3 and sub sections (1) and (1A) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby appoints officer mentioned in column (4) of the Table below to exercise the powers and discharge duties conferred or imposed on officers mentioned in column (3) of the said Table in respect of Noticee mentioned in column (1) of the Table, for purpose of adjudication of show cause notices mentioned in column (2) therein, namely:-

Table

Name of the Noticee(s) and Address (M/s.)	Show Cause Notice Number & Date	Details of Adjudicating Authorities	Common Adjudicating Authority appointed
(1)	(2)	(3)	(4)
M/s Akwel Automative Pune India Pvt Ltd. (IEC 3105015850), GAT No. 357/17/1, Kharabwadi, Chakan, Tal-Khel, Pune, Mharashtra-410501	344/2023-24 dated 15.12.2023	The Assistant Commissioner of Customs, CRC-II, Air Cargo Complex, Sahar, Andheri (E), Mumbai	The Assistant/Deputy Commissioner of Customs, Group-II (H-K), NS-I, JNCH, Nhava Seva.
	871/2023-24 Gr II(HK)/CAC/JNCH dated 17.07.23	The Assistant Commissioner of Customs, Gr-II(H-K), NS-I, JNCH, Nhava Sheva	

[F. No. 466/29/2026-Cus.V]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.